



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 06 दिसम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर टॉप-10 अपराधी को 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त नदीम पुत्र चमन खां निवासी मौ0 काजीखे थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर लूट/हत्या जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 31.10.2020 को थाना पहासू पर मुअसं- 356/20 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 22.01.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 06.12.2024 को न्यायाधीश श्री चन्द्र विजय श्रीनेत (मा0 न्यायालय एडीजे-08/स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त नदीम को 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

अभियुक्त नदीम का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 272/16 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 165/19 धारा 392/411 भादवि थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 191/19 धारा 394/411 भादवि थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 225/19 धारा 302/201 भादवि थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 13/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं- 356/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं- 348/23 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं- 352/23 धारा 307 भादवि व 3/25 शस्त्र अधि0 थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।

मीडिया सेल बुलन्दशहर